

[2023] 1 एस. सी. आर 893

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य

बनाम

कमल किशोर प्रसाद

(2023 की दीवानी अपील संख्या 175)

09 जनवरी, 2023

[कृष्णा मुरारी और बेला एम. त्रिवेदी, न्यायाधीशगण]

सेवा कानून-एस. बी. आई. ओ. एस. आर., 1992-नियम 19 (1) और 19 (3)-सेवा से बर्खास्तगी-प्रत्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11.08.1999 के आदेश के अनुसार सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था-प्रत्यर्थी द्वारा रिट याचिका-उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने दिनांक 26.03.2003 के आदेश द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को दरकिनार कर दिया-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एकल पीठ द्वारा पारित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी, हालांकि, अंत में एल. पी. ए. को 22.04.2010 को खारिज कर दिया गया-इस बीच, प्रत्यर्थी ने 30.11.2009 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली-अपीलकर्ता-बैंक द्वारा दायर एस. एल. पी. को नियुक्ति प्राधिकरण को उचित निर्णय लेने के निर्देश के साथ अनुमति दी गई-उसके अनुसरण में नियुक्ति प्राधिकार ने प्रत्यर्थी को एक कारण बतओ नोटिस जारी किया व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति देने के बाद 11.08.1999 को सेवा से बर्खास्तगी की सजा लागू की गई। प्रत्यर्थी ने पुनः उच्च न्यायालय गया एवं उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार किया एवं बर्खास्तगी के आदेश को दरकिनार किया अपील पर अवधारित किया:-एकल पीठ के दिनांक 26.03.2003 के आदेश ने नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश को खंड पीठ द्वारा रोक लगाने के बाद प्रतिवादी को सेवा में बने रहना नहीं माना जा सकता था, और यह और भी

तब जब वह 30.11.2009 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका था-इसके बाद, एल पी ए में पारित खंड पीठ के 22.04.2010 के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दरकिनार कर दिया गया था, जबकि अपीलकर्ता-बैंक द्वारा दायर अपील को 25.11.2013 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी, फिर से यह नहीं कहा जा सकता था कि प्रतिवादी को सेवा में तब तक जारी रखा गया था, जब तक कि वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं कर लेता-नियुक्ति प्राधिकरण का आदेश प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर देने के बाद प्रतिवादी को सेवा से खारिज करना सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप या एवं इसे मनमाना अवैध नहीं कहा जा सकता था या उक्त नियमावली के नियम 19(3) उल्लंघन नहीं था। उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश जिसमें बर्खास्तगी का आदेश था, को निरस्त किया गया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय द्वारा

अवधरित किया: 1 प्रत्यर्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी थी और समाप्त हो चुकी थी। नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 11.08.1999 आदेश के अनुसार सेवा से बर्खास्तगी। उक्त आदेश को प्रत्यर्थी द्वारा रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी, जिसे एकल पीठ द्वारा 26.03.2003 को अनुमति दी गई थी, जिसके तहत बर्खास्तगी के आदेश को दरकिनार कर दिया गया था, फिर भी अपीलकर्ता-बैंक ने 2003 के एल पी ए संख्या 378 को प्राथमिकता दी थी, खंड पीठ 09.05.2003 को एकल पीठ द्वारा पारित उक्त आदेश के संचालन और कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। उक्त एल. पी. ए. को 22.04.2010 पर खारिज कर दिया गया, इस बीच 30.11.2009 को, प्रतिवादी ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली, यानी उस समय के दौरान, जब एकल पीठ के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। इस प्रकार, एकल पीठ के आदेश ने नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश को दरकिनार करते हुए, खंड पीठ द्वारा रोक लगाए जाने के बाद, प्रतिवादी को सेवा में बने रहने के लिए नहीं माना जा सकता था, और यह भी कि जब वह 30.11.2009 पर सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका था। इसके बाद, 2003 के एल. पी. ए. 378 में पारित खंड पीठ के दिनांक

22.04.2010 के आदेश को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जबकि अपीलार्थी-बैंक द्वारा दायर अपील को अनुमति देते हुए दिनांक 25.11.2013 के आदेश के अनुसार, फिर से यह नहीं कहा जा सकता था कि प्रतिवादी को सेवा में तब तक जारी रखा गया था, जब तक कि वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। [पैरा 11] [899-डी-जी]

2. यह केवल इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार दिनांक 25.11.2013 के आदेश के अनुसार, नियुक्ति प्राधिकरण से प्रतिवादी को सुनने और उचित आदेश पारित करने की अपेक्षा की गई थी। इस न्यायालय ने सभी पक्षों की सभी दलीलों को खुला रखा था। इसलिए नियुक्ति प्राधिकरण ने कारण दर्शाओ नोटिस जारी करने और प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने के बाद 11.08.1999, के प्रभाव से यानी उस तारीख से जब नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा बर्खास्तगी का पहला आदेश पारित किया गया था, "सेवा से बर्खास्तगी" का जुर्माना लगाते हुए आदेश पारित किया था। चूंकि इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-बैंक द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए सभी दलीलों को खुला रखा गया था, इसलिए अपीलार्थी-बैंक से कोई सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी, जैसा कि प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत करने की मांग की गई थी। प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर देने के बाद प्रत्यर्थी को सेवा से बर्खास्त करने का नियुक्ति प्राधिकरण का उक्त आदेश इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप था और इसे मनमाना अवैध या उक्त नियमों के नियम 19 (3) का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता था। तथ्यों और कानून की गलत धारणा के तहत बर्खास्तगी के उक्त आदेश को दरकिनार करने वाले उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को रद्द करना और दरकिनार करना उचित है। [पैरा 13] [900-सी-एफ]

2016 के एल. पी. ए. सं. 2035 में पटना में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 01.02.2018 से।

बलबीर सिंह, ए. एस. जी., संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, अर्जुन भाटिया, ललित राजपूत, सुश्री अनु सुरा, सुश्री अक्षता जोशी, अपीलार्थियों के लिए अधिवक्तागण

कृपा शंकर प्रसाद सुश्री अलीशा शैली, ऐनुल अंसारी, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय बेला एम. त्रिवेदी, न्यायाधीश द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति दी गई।

2. वर्तमान अपील 2016 के एल. पी. ए. संख्या 2035 में पटना में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार द्वारा पारित 01.02.2018 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार ने अपीलकर्ता-बैंक द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है और एकल पीठ द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है।

3. वर्तमान याचिका को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी ने मारुफगंज शाखा और विभिन्न अन्य शाखाओं में शाखा प्रबंधक के रूप में तैनात रहते हुए विभिन्न खामियां की थीं, जिसके संबंध में उन्हें एस. बी. आई. ओ. एस. आर., 1992 के नियम 50 ए (आई) (ए) के संदर्भ में 14.06.1993 पर निलंबित कर दिया गया था। उनके खिलाफ की गई विभागीय कार्यवाही पर, जांच प्राधिकरण ने 09.03.1998 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें कुछ आरोप साबित पाए गए थे और कुछ आंशिक रूप से साबित हुए थे। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जांच प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए कुछ निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और प्रतिवादी से उसी पर अपनी दलीलें देने का आह्वान किया। हालांकि इसके बाद मामला नियुक्ति प्राधिकरण को भेजा गया, जिसने दिनांक 11.08.1999 के आदेश के अनुसार "सेवा से बर्खास्तगी" का जुर्माना लगाया।

4. प्रतिवादी ने उक्त आदेश से व्यथित होकर एक रिट याचिका 2000 का 2739 उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की थी जिसे एकल पीठ द्वारा दिनांक 26.03.2003 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई। उक्त आदेश से व्यथित अपीलार्थी-बैंक ने 2003 का एल. पी. ए. सं. 378 दर्ज किया था। 09.05.2003 को खंड पीठ ने एकल बेंच द्वारा पारित 26.03.2003 के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी, हालांकि अंत में 22.04.2010 के आदेश के माध्यम से उक्त एल. पी. ए. को खारिज कर दिया। इस बीच, प्रतिवादी ने 30.11.2009 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली। अपीलार्थी-बैंक ने 2010 का एस. एल. पी. (सी) सं. 16541 दायर कर खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 22.04.2010 के आदेश को चुनौती दी है जिसे इस न्यायालय द्वारा 25.11.2013 को

अनुमति दी गई। एस. एल. पी. को अनुमति देते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"10. हमने एल. आई. एस. के पक्षकारों के लिए विद्वान वकील को सुना है।

11. रिट अदालत ने नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका पर निर्णय लेते समय इस अदालत के आदेश का पालन किया था जिसमें कहा गया है कि मामले की सुनवाई करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से एक आदेश पारित करना चाहिए। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने फैसले में इस न्यायालय के बाद के फैसलों का उल्लेख किया है। हमारी राय में, हमें उन निर्णयों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। यह अब एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि जो व्यक्ति मामले को सुनता है उसे एक आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है।

12. चूंकि, यह विद्वान एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण है, इसलिए हमारी राय है कि इस तरह के दृष्टिकोण को हम अपवाद नहीं बना सकते हैं। हालांकि, खंड पीठ ने अपीलार्थी-बैंक द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज करते हुए कुछ टिप्पणियां की हैं जो हमारी राय में, इस प्रकृति के मामले में उत्पन्न नहीं होंगी। इसलिए हम उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश को कायम नहीं रख सकते।

13. परिणामस्वरूप, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और 2003 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 378 में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर देते हैं। चूंकि हमें बताया गया है कि अपराधी अधिकारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है, इसलिए अब हम नियुक्ति प्राधिकरण को

इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के दो महीने के भीतर किसी भी तरह से यथासंभव शीघ्र उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हैं।

14. सभी पक्षों की सभी दलीलें खुली रखी जाती हैं। तदनुसार आदेश दिया गया।”

5. इस न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, नियुक्ति प्राधिकरण ने प्रत्यर्थी को 06.02.2014 को एक कारण-बतओ नोटिस जारी किया, जिस पर प्रत्यर्थी ने 10.02.2014 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। नियुक्ति प्राधिकरण ने 14.02.2014 को प्रत्यर्थी को व्यक्तिगत सुनवाई देने के बाद, 17.02.2014 को एक आदेश पारित किया जिसमें प्रत्यर्थी पर एस. बी. आई. एस. ओ. आर. 11.08.1999 के प्रभाव से नियम 67 (जे) के संदर्भ में "सेवा से बर्खास्तगी" का जुर्माना लगाया गया और उसके निलंबन की अवधि को कर्तव्य पर नहीं माना गया।

6. नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने 24.02.2014 को अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष विभागीय अपील दायर की, जिसे 09.08.2014 पर खारिज कर दिया गया। इसलिए प्रत्यर्थी ने 2014 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 10192 दाखिल करके फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने दिनांकित 22.08.2016 आदेश के माध्यम से उक्त याचिका की अनुमति दी, और अपीलार्थी-बैंक द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दरकिनार कर दिया और अपीलार्थी-बैंक को सभी परिणामी लाभों यानी वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों के बकाया का भुगतान 3 महीने के भीतर करने का निर्देश दिया। पीड़ित अपीलार्थी-बैंक ने 17.10.2016 को 2016 का एल. पी. ए. सं. 2035 दर्ज किया, जिसे खंड पीठ द्वारा दिनांकित 01.02.2018 के विवादित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

7. अपीलार्थी-बैंक की ओर से विद्वान ए. एस. जी. श्री बलबीर सिंह ने जोरदार ढंग से कहा कि उच्च न्यायालय ने एकल पीठ द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने और एस. बी. आई. ओ. एस. आर., 1992 के नियम 19 (1) और 19 (3) की गलत व्याख्या करने में

भारी त्रुटियां की है। उनके अनुसार, इस न्यायालय ने मुकदमे के पहले दौर में अपीलकर्ता-बैंक द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया था और खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया था, और यह देखते हुए कि मामले की सुनवाई करने वाले व्यक्ति को एक आदेश पारित करने की आवश्यकता है, नियुक्ति प्राधिकरण को पक्षों की सभी दलीलों को खुला रखते हुए 2 महीने के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसलिए नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रत्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद बर्खास्तगी का आदेश पारित किया था, जिसे एकल पीठ और खंड पीठ ने गलत तरीके से दरकिनार कर दिया था।

8. हालाँकि, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री कृपा शंकर प्रसाद ने प्रस्तुत किया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 25.11.2013 पर पारित आदेश को देखते हुए अपीलकर्ता-बैंक द्वारा एक सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि प्रत्यर्थी पहले ही उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने तक सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका था। उन्होंने आगे उक्त आदेश में प्रस्तुत किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने खंड पीठ के आदेश को दरकिनार कर दिया था, हालांकि एकल पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत था कि तय किए गए कानूनी सिद्धांत के अनुसार, मामले की सुनवाई करने वाले व्यक्ति को एक आदेश पारित करने की आवश्यकता है। उनके अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति प्राधिकरण को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने की सीमा तक ही स्वतंत्रता प्रदान की थी क्योंकि प्रतिवादी ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी। इन परिस्थितियों में, नियुक्ति प्राधिकरण को नियम 19 (1) के संदर्भ में प्रत्यर्थी की सेवा बढ़ाने के लिए या नियमों के नियम 19 (3) के तहत प्रत्यर्थी की सेवानिवृत्ति के बाद भी अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता थी, हालांकि अपीलकर्ता-बैंक ने उक्त नियमों में से किसी का भी सहारा नहीं लिया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने के विवेकाधिकार का उपयोग एक सचेत निर्णय लेकर एक सकारात्मक कार्रवाई के रूप में किया जाना चाहिए, जिसे अपीलार्थी-बैंक का नियुक्ति प्राधिकरण लेने में विफल रहा और इसके विपरीत पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ बर्खास्तगी का आदेश पारित किया जो कानूनी रूप से अनुमत नहीं था।

9. चूंकि एस. बी. आई. ओ. एस. आर. नियमों के नियम 19 (1) और 19 (3) पर प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा बहुत अधिक निर्भरता रखी गई है, इसलिए उन्हें सुविधा के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

“19. (1) एक अधिकारी अठावन वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या तीस वर्ष की सेवा या तीस वर्ष की पेंशन योग्य सेवा के पूरा होने पर बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होगा, यदि वह पेंशन कोष का सदस्य है, जो भी पहले घटित हो।

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी, अपने विवेकाधिकार पर, ऐसे अधिकारी की सेवा की अवधि बढ़ा सकता है, जिसने 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है या जिसने तीस वर्ष की सेवा या तीस वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी कर ली है, यदि ऐसा विस्तार बैंक के हित में वांछनीय समझा जाता है, तो भी, कि संबंधित अधिकारी द्वारा 58 वर्ष की आयु से अधिक की सेवा, उस समय देय छुट्टी की अवधि को छोड़कर, पेंशन के उद्देश्य से गणना नहीं की।

बशर्ते कि एक अधिकारी जो 19 जुलाई, 1969 को या उसके बाद एक अधिकारी के रूप में या अन्यथा बैंक की सेवा में शामिल हुआ था और 58 वर्ष की आयु प्राप्त की थी, उसे सेवा में आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

बशर्ते कि कोई अधिकारी, कार्यकारी समिति के विवेकाधिकार पर, 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद या 25 वर्ष की सेवा या 25 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी करने के बाद, उसे लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर या उसके बदले भुगतान करके बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है।

बशर्ते कि एक अधिकारी जिसने 20 साल की सेवा या 20 साल की पेंशन योग्य सेवा पूरी कर ली है, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि वह तीन महीने का नोटिस दे या उसके बदले में भुगतान करे, जब तक कि यह आवश्यकता उसके द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से माफ नहीं की जाती है।

19. (2)..

19. (3) यदि किसी अधिकारी के खिलाफ सेवा के सुसंगत नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है, इससे पहले कि वह उक्त नियमों में से किसी के संचालन के आधार पर या इन नियमों के प्रावधानों के आधार पर बैंक की सेवा में नहीं रहता है, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही, प्रबंध निदेशक के विवेक पर, उस प्राधिकरण द्वारा जारी रखी जाएगी और समाप्त की जाएगी जिसके द्वारा कार्यवाही उक्त नियमों के प्रावधान के अनुसार शुरू की गई थी, जैसे कि अधिकारी सेवा में बना रहता है, हालांकि, वह केवल ऐसी कार्यवाही के जारी रहने और समापन के उद्देश्य से सेवा में माना जाएगा।

व्याख्या: एक अधिकारी उस माह के अंतिम दिन सेवानिवृत्त होगा जिस महीने में वह निर्धारित सेवा या सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करता है।”

10. उक्त नियमों के केवल अवलोकन पर यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि नियमों के नियम 19 (1) के अनुसार, एक अधिकारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या 30 वर्ष की सेवा या 30 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा के पूरा होने पर बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है, यदि वह पेंशन कोष का सदस्य है, जो भी पहले हो, उसमें उल्लिखित प्रावधानों के अधीन। नियम 19 (3) के अनुसार, यदि किसी अधिकारी के खिलाफ सेवा के प्रासंगिक नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है, इससे पहले कि वह किसी भी

नियम के संचालन या आधार पर बैंक की सेवा में रहना बंद कर दे, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रबंध निदेशक के विवेक पर जारी रखी जा सकती है और समाप्त की जा सकती है, जैसे कि अधिकारी सेवा में बना रहा हो। हालाँकि, उस मामले में अधिकारी को केवल ऐसी कार्यवाही के जारी रहने और समापन के उद्देश्य से सेवा में माना जाएगा।

11. जहाँ तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, प्रत्यर्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी थी और समाप्त हो चुकी थी, जिसकी परिणति नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 11.08.1999 के आदेश के अनुसार सेवा से बर्खास्तगी में हुई। उक्त आदेश को प्रत्यर्थी द्वारा रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी, जिसे एकल पीठ द्वारा 26.03.2003 को अनुमति दी गई थी, जिसके तहत बर्खास्तगी के आदेश को दरकिनार कर दिया गया था, फिर भी अपीलकर्ता-बैंक ने 2003 के एल पी ए संख्या 378 को प्राथमिकता दी थी, खंड पीठ ने 09.05.2003 पर एकल पीठ द्वारा पारित उक्त आदेश के संचालन और कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। उक्त एल. पी. ए. को 22.04.2010 को खारिज कर दिया गया, इस बीच 30.11.2009 को, प्रतिवादी ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली, यानी उस समय के दौरान, जब एकल पीठ के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। इस प्रकार, एकल पीठ के आदेश ने नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश को दरकिनार करते हुए, खंड पीठ द्वारा रोक लगाए जाने के बाद, प्रतिवादी को सेवा में बने रहने के लिए नहीं माना जा सकता था, और यह भी कि जब वह 30.11.2009 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका था। इसके बाद, 2003 के एल. पी. ए. 378 में पारित खंड पीठ के दिनांक 22.04.2010 के आदेश को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जबकि अपीलार्थी-बैंक द्वारा दायर अपील को अनुमति देते हुए दिनांक 25.11.2013 के आदेश के अनुसार, फिर से यह नहीं कहा जा सकता था कि प्रतिवादी को सेवा में तब तक जारी रखा गया था, जब तक कि वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।

12. नियमों के नियम 19 (3) पर प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा रखी गई निर्भरता भी पूरी तरह से गलत है क्योंकि नियम 19 (3) एक ऐसी स्थिति पर विचार करता

है, जब एक बैंक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है, और लंबित है जब अधिकारी बैंक की सेवा में नहीं रहता है, और उस मामले में प्रबंध निदेशक अपने विवेक से अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रख सकते हैं और समाप्त कर सकते हैं जैसे कि अधिकारी सेवा में बना हुआ हो। हालांकि, तत्काल मामले में, प्रबंध निदेशक द्वारा नियम 19 (3) के तहत इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग करने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि प्रतिवादी के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 11.08.1999 के आदेश के अनुसार उसकी बर्खास्तगी में समाप्त हो चुकी थी। यद्यपि बर्खास्तगी के उक्त आदेश को एकल पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया था, एकल पीठ के आदेश ने बैंक द्वारा दायर एल. पी. ए. के लंबित रहने पर रोक लगा दी थी; और यद्यपि एल. पी. ए. को खंड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था, एल. पी. ए. में उक्त आदेश को इस न्यायालय द्वारा यह देखते हुए दरकिनार कर दिया गया था कि मामले की सुनवाई करने वाले व्यक्ति को इसका निर्णय करना होगा।

13. यह केवल इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार दिनांक 25.11.2013 के आदेश के अनुसार, नियुक्ति प्राधिकरण से प्रतिवादी को सुनने और उचित आदेश पारित करने की अपेक्षा की गई थी। इस न्यायालय ने सभी पक्षों की सभी दलीलों को खुला रखा था। इसलिए नियुक्ति प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस जारी करने और प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने के बाद 11.08.1999, के प्रभाव से यानी उस तारीख से जब नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा बर्खास्तगी का पहला आदेश पारित किया गया था, "सेवा से बर्खास्तगी" का जुर्माना लगाते हुए आदेश पारित किया था। चूंकि इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-बैंक द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए सभी दलीलों को खुला रखा गया था, इसलिए अपीलार्थी-बैंक से कोई सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी, जैसा कि प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत करने की मांग की गई थी। प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर देने के बाद प्रत्यर्थी को सेवा से बर्खास्त करने का प्राधिकरण की नियुक्ति का उक्त आदेश इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप था और इसे मनमाना अवैध या उक्त नियमों के नियम 19 (3) का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता था।

तथ्यों और कानून की गलत धारणा के तहत बर्खास्तगी के उक्त आदेश को दरकिनार करने वाले उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को रद्द करने और दरकिनार करने का अधिकार है।

14. इस मामले को ध्यान में रखते हुए एकल पीठ द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने वाले खंड पीठ द्वारा पारित विवादित आदेश को तदनुसार रद्द कर दिया जाता है।

15. अपील की अनुमति है।

अंकित ज्ञान

(सहायक: भव्यता कपूर और राहुल राठी, एलसीआरए)